ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा–846004

पत्रांकः– हा० क०– 70/26 दिनांकः– 11/07/2026

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष,
   विश्वविद्यालय विभाग,
   ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. सभी प्रधानाचार्य / प्रभारी प्रधानाचार्य,
   (स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय),
   ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

विषयः–समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र– 2026–28 में नामांकन के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र– 2026–28 मे नामांकन हेतु चयन सूची दिनांक–11.07.2026 को विश्वविद्यालय के वेबसाईट (www.lnmu.ac.in) पर जारी की गयी है। अभ्यर्थी अपना चयन–पत्र (Selection letter) विश्वविद्यालय के वेबसाईट से यूजर आई–डी (ई–मेल) एवं पासवर्ड (User I.D and password) के द्वारा लॉग–इन (login) कर डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातकोत्तर विभागाध्यक्षों एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि चयन सूची से ***दिनांकः– 13.07.2026 से 16.07.2026 तक*** अभ्यर्थियों का आवंटित विभाग / महाविद्यालय में नामांकन हेतु सभी आवश्यक अभिलेख सत्यापन कोषांग द्वारा जाँचोपरान्त ही अभ्यर्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे। अभिलेख सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक है। विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रभारी प्रधानाचार्य निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए नामांकन सुनिश्चित करेंगेः–

1. यह चयन सूची आवेदकों द्वारा आवेदन में भरे गये तथ्यों के आधार पर तैयार की गयी है। अतएव विभागाध्यक्ष / प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि आवेदकों द्वारा आवेदन प्रपत्र में भरे गये तथ्यों की जाँच कर एवं सभी प्रकार के कागजात सही पाये जाने की स्थिति में ही नामांकन की अनुशंसा करेंगे।
2. स्नातकोत्तर में नामांकन CBCS Regulation के तहत लिया जाता है। परिनियम के अनुसार स्नातकोत्तर में नामांकन के लिये संबंधित विषय के प्रतिष्ठा (Honours) में न्यूनतम 45 प्रतिशत / अनुषांगिक (Subsidiary) / सामान्य पाठ्यक्रम (Pass Course) एवं संबद्ध विषय (Allied Subject) में न्यूनतम 55 प्रतिशत से कम अंक है तो ऐसे अभ्यर्थी नामांकन के पात्र नहीं होंगे।
3. यदि अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदित विषय में स्नातक स्तरीय परीक्षा में प्राप्तांक से अधिक अंक भरें हैं तो इसे धोखाधड़ी मानते हुए ऐसे अभ्यर्थियों का नामांकन नहीं लिया जाय।
4. विभागाध्यक्ष / प्रधानाचार्य, अभ्यर्थियों का किसी भी परिस्थिति में ***आवेदित विषय*** को परिवर्तन कर नामांकन नहीं लेंगे।

11/7/26

5. यदि अभ्यर्थियों आरक्षण कोटि के अधीन नामांकन हेतु आवेदन किये हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों के आरक्षण कोटि के प्रमाण–पत्रों की जाँच कर नामांकन लेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण कोटि से इतर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ऐसे अभ्यर्थियों का नामांकन नहीं लेंगे।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति एवं सभी वर्ग की महिलाओं से नामांकन के समय किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लेंगे। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा किसी भी प्रकार का नामांकन के समय शुल्क लिया जाता है तो यह राज्यादेश एवं न्यायादेश का उल्लंघन माना जायेगा एवं उनके विरूद्ध नियमानुकूल कार्यवाई की जायेगी।
7. नामांकन के समय अभ्यर्थियों से निम्नांकित अभिलेखों को संलग्न कर नामांकन लेंगेः–
   क) कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म (CAF)।
   ख) चयन–पत्र (सेलेक्शन लेटर)।
   ग) मूल अंक–पत्र की छाया–प्रति (स्व–अभिप्रमाणित)।
   घ) महाविद्यालय परित्याग / स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (CLC/TC) की मूल प्रति।
   ड़) पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो की दो प्रतियाँ।
   च) आरक्षण कोटि प्रमाण–पत्र (जहाँ लागू हो) (स्व–अभिप्रमाणित)।
   छ) आधार कार्ड की छाया–प्रति (यदि हो) (स्व–अभिप्रमाणित)।
   ज) दिव्यांग कोटा (PH) के अधीन वैसे अभ्यर्थी नामांकन के पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं सक्षम पदाधिकारी यथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया हो। यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रमाण–पत्र नामांकन के समय प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों का नामांकन नहीं लिया जाय।
   झ) प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) (दूसरे विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होकर नामांकित हुए अभ्यर्थी नामांकन के दिनांक से अधिकतम 15 दिनों के अभ्यंतर निश्चित रूप से जमा करेंगे)।
8. विश्वविद्यालय विभाग / महाविद्यालय समर्थ पोर्टल पर प्रत्येक दिन नामांकित अभ्यर्थी का Admission Update अनिवार्य रूप से करेंगे। Update करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित अभ्यर्थियों की ही प्रक्रिया (Updation) की जा रही है। Update करने में किसी भी तरह की असुविधा होने पर छात्र–कल्याण कार्यालय से कार्यालय अवधि में संपर्क कर सकते हैं।

सहायता के लिये जिलावार व्यक्तियों की जानकारी इस प्रकार हैः–

1. बेगूसराय	–	मुरारी कुमार (TSA)	–	9304667075
2. समस्तीपुर	–	संजीव कुमार सुमन (TSA)	–	9354426866
3. दरभंगा	–	राजीव यादव (TSA)	–	9807994665
4. मधुबनी	–	यश प्रताप (TSA)	–	8969768749

नोटः–

*1. विश्वविद्यालय विभाग एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय नामांकित अभ्यर्थियों का प्रेरण–वर्ग **(Induction Programme)** आयोजित कर दिनांक–**17.07.2026** से वर्ग प्रारंभ करेंगे। प्रेरण–वर्ग **(Induction Programme)** के कार्यक्रम से सम्बन्धित फोटो विभाग / महाविद्यालय में संरक्षित कर रखेंगे।*

11/7/26

2. विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय विभाग एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, नामांकित अभ्यर्थियों का Update यदि किसी कारणवश नहीं कर पाये हों तो समर्थ पोर्टल पर दिनांक– 18.07.2026 के 2:00 बजे अपराह्ण तक निश्चित रूप से Update कर लेंगे। जिन अभ्यर्थियों के नामांकन को विश्वविद्यालय विभाग/महाविद्यालय द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से अंतिम रूप से Update नहीं किया जायेगा तो यह समझा जायेगा कि संबंधित छात्र नामांकन हेतु विश्वविद्यालय विभाग/महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हुए, इसके उपरान्त अपडेशन संबंधी किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रथम चयन सूची के आधार पर लिये गये नामांकन के उपरान्त कोटिवार बचे हुए रिक्त सीटों पर विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय चयन सूची जारी की जायेगी।
3. परीक्षा संबंधी विनियमन के अनुसार अभ्यर्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
4. ध्यातव्य है कि ज्ञापांक– छा0क0– 67/26 दिनांक– 07.07.2026 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप केवल स्वीकृत/निर्धारित सीट के 50 प्रतिशत सीट पर ही नामांकन लेंगे।
5. सभी विश्वविद्यालय विभाग/महाविद्यालयों की प्रथम चयन सूची ई–मेंल के साथ संलग्न है।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से।

विश्वासभाजन,

Arun 11/7/26

अध्यक्ष, छात्र–कल्याण

11/7/26